रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 1986/माघ 8, 1907

No. 44] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 1986/MAGHA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1986

सा. का. नि. 71 (अ) :—केन्द्रीय सरकार अनिवार्य जिस अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रर्वतन :—इस आदेश का नाम कीटनाशी (मूल्य, स्टाक प्रदर्शन तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना) आदेश 1986 होगा ।

(2) यह सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा ।

(3) यह तत्काल से लागू होगा ।

2. परिभाषा :—इस आदेश में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय अनिवार्य जिस अधिनियम, 1955 (1955 का 10) होगा,

(ख) "नियंत्रक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो केन्द्र सरकार द्वारा कीटनाशी नियंत्रक के तौर पर नियुक्त किया जाता है । इसमें वह अन्य व्यक्ति भी शामिल होगा जिसे भारत सरकार द्वारा इस आदेश के अधीन नियंत्रक के सभी अथवा कोई भी कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं,

(ग) "विक्रेता" से अभिप्राय उस व्यक्ति से होगा जो कीटनाशियों के विक्रय का, चाहे थोक अथवा फुटकर हो, व्यापार करता है । इसमें विक्रेता का अभिकर्ता भी शामिल है,

(घ) कीटनाशी से वही अभिप्रेत होगा जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के खण्ड 3 की धारा (ङ) में दिया गया है,

(ङ) "कीटनाशी निरीक्षक" से अभिप्राय कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के खण्ड 20 के तहत केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कीटनाशी निरीक्षक से है,

(च) किसी भी कीटनाशी से संबंधित विनिर्माण से अभिप्राय—

(1) किसी कीटनाशी के विक्रय, वितरण अथवा इस्तेमाल किए जाने की दृष्टि से उसके निर्माण, परिवर्तन, परिष्कृति, पैक करने, लेबल लगाने छोटे-छोटे पैकेटों में भरने अथवा अन्य किसी तरह से उसमें फेरबदल करने अथवा अपनाने की किसी प्रक्रिया अथवा प्रक्रिया के किसी भाग से है, लेकिन इसमें इसके फुटकर व्यापार के असाधारण लेन देन में किसी कीटनाशी को पैक करना अथवा छोटे-छोटे पैकेटों में भरने का कार्य शामिल नहीं है ।

(2) कोई भी प्रक्रिया जिसके द्वारा कीटनाशी दवा को मिला कर कोई सम्पाक तैयार किया जाता है ।

(छ) ''विनिर्माता'' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कीटनाशियों का विनिर्माण करता है । इसमें कीटनाशियों का सूत्रधार भी शामिल है ।

(ज) ''बिक्री'' अपने व्याकरणिक रूप में तथा इसके समान अर्थ में किसी भी कीटनाशी की बिक्री से अभिप्रेत है चाहे वह नगद अथवा उधार हो और चाहे वह थोक अथवा फुटकर हो । इसमें बिक्री के लिए किया गया करार, बिक्री के लिए प्रस्ताव, तथा बिक्री के लिए प्रदर्शनी अथवा किसी भी कीटनाशी की बिक्री के लिए उसे अपने पास रखना तथा इस प्रकार की किसी कीटनाशी को बेचने का प्रयास भी शामिल है ।

3. विनिर्माता तथा विक्रेता द्वारा कीटनाशियों के स्टाक तथा मूल्य सूची को प्रदर्शित किया जाना :—प्रत्येक विनिर्माता अथवा विक्रेता जो किसी कीटनाशी की फुटकर बिक्री करता है अथवा बिक्री का प्रस्ताव करता है अपने कारोबार के स्थान पर प्रमुख रूप निम्नलिखित का प्रदर्शन करेगा :—

(क) उनके द्वारा दैनिक आधार पर प्राप्त की गई विभिन्न कीटनाशियों के स्टाक की मात्रा,

(ख) कीटनाशियों के तत्कालीन मूल्य अथवा दरों की सूची ।

4. विनिर्माताओं तथा विक्रेताओं द्वारा खरीददारों को ज्ञापन का दिया जाना :—प्रत्येक विनिर्माता अथवा विक्रेता नियंत्रक के निदेशानुसार कीटनाशी के खरीददार को नगद अथवा ऋण ज्ञापन देगा ।

5. विनिर्माताओं द्वारा पैकिंग आदि के संबंध में आवश्यकताओं का पूरा किया जाना :—

(1) कीटनाशियों की पैकिंग करने तथा आधानों पर निशान लगाने के संबंध में प्रत्येक विनिर्माता अथवा विक्रेता निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अर्थात् :—

(क प्रत्येक आधार पर जिसमें कोई भी कीटनाशी पैक की गई है, नियंत्रक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट ब्यौरा दिया जाएगा,

(ख) प्रत्येक आधान को इस प्रकार पैक करके किया जाएगा कि इसकी सील तोड़े बिना उसमें रखी सामग्री निकाली न जा सके, तथा

(ग) भारत में विनिर्मित कीटनाशियां जिन थैलों में भरी जाएगी उन पर मशीन द्वारा इस ढंग से सिलाई की जाएगी कि उनकी प्रत्यक्ष रूप से सिलाई तोड़े बिना उसमें पड़ी सामग्री में कुछ मिलाया अथवा उसमें से कुछ निकाला नही जा सकेगा ।

(घ) नियंत्रक उप-खण्ड (1) में निहित उपबंधो का उल्लंघन किए बिना सरकारी राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा किसी भी विशिष्ट किस्म अथवा प्रकार की कीटनाशियों, चाहे वह भारत में विनिर्मित हो अथवा नही, के आधानों को पैक करने अथवा उन पर निशान लगाने से संबंधित आवश्यकता को विनिर्दिष्ट कर सकता है ।

6. रिकार्डों का रखरखाव तथा विवरण प्रस्तुत करना आदि :—नियंत्रक लिखित आदेश द्वारा विनिर्माता अथवा विक्रेता अथवा उसके किसी वर्ग को निम्नलिखित के लिए निदेश दे सकता है :—

(क) जैसा नियंत्रक विनिर्दिष्ट करे उसके अनुसार कीटनाशियों के विनिर्माण और बिक्री के संबंध में बही-खातों तथा रिकार्डों का रखरखाव करना,

(ख) नियंत्रक के निदेशानुसार रिपोर्टों अथवा विवरणों में भरकर निर्धारित समय के अन्तर्गत प्राधिकारी को प्रस्तुत करना ।

(ग) नियंत्रक के निदेशानुसार निरीक्षण के लिए अपेक्षित स्टाक, खाते अथवा रिकार्ड नियंत्रक अथवा कीटनाशी निरीक्षक अथवा अन्य किसी प्राधिकारी को प्रस्तुत करना ।

7. आदेशों तथा निदेशों का पालन :—इस आदेश के तहत नियंत्रक अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा तैयार अथवा जारी किए गए आदेश अथवा निदेश का पालन अधिनियम के खण्ड 3 के उप-खण्ड (5) में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाएगा ।

[सं. 14-1/84-पी पी 1]

आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(Department of Agriculture & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 28th January, 1986

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely :—

1. Short title, extent and commencement.—This order may be called the Insecticides (Price, Stock Display and Submission of Reports) Order, 1986.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Definition.—In this order, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

(b) "Controller" means the person appointed as Controller of Insecticides by the Central Government and includes any other person empowered by the Central Government to exercise all or any of the functions of the Controller under this Order;

(c) "dealer" means a person carrying on the business of selling insecticides, whether wholesale or retail, and includes an agent of a dealer;

(d) "insecticide" shall have the meaning assigned to it in clause (e) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968);

(e) "Insecticide Inspector" means the Insecticide Inspector appointed by the Central or State Government under section 20 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968);

(f) "manufacture", in relation to any insecticide, includes —

(i) any process or part of a process for making, altering, finishing, packing, labelling, breaking up or otherwise treating or adopting any insecticide with a view to its sale, distribution or use but does not include the packing or breaking up of any insecticide in the ordinary course of retail business; and

(ii) any process by which a preparation containing an insecticide is formulated;

(g) "manufacturer" means any person who manufactures insecticides and includes a formulator of the insecticides;

(h) "sale", with its grammatical variations and cognate expressions, means the sale of any insecticide, whether for cash or on credit and whether by wholesale or retail. and includes an agreement for sale, an offer for sale, the exposing for sale or having in possession for sale of any insecticide and includes also an attempt to sell any such insecticide.

3. Manufacturer and dealer to display stock and price list of insecticides.—Every manufacturer or a dealer who makes or offers to make a retail sale of any insecticide shall prominently display in his place of business ;

(a) the quantities of stock of different insecticides held by him on daily basis ;

(b) a list of prices or rates of such insecticides for the time being in force.

4. Manufacturers and dealers to give memorandum to purchases.—Every manufacturer or a dealer shall give a cash or credit memorandum to a purchaser of a ninsecticides in such form as the Controller may direct.

5. Manufacturers to comply with certain requirements in regard to packing etc.—Every manufacturer shall in regard to packing and marking of containers of insecticides comply with the following requirements, namely :—

(a) every container in which any insecticide is packed shall bear such particulars as may from time to time be specified by the Controller in this behalf;

(b) every container shall be so packed and sealed that the contents thereof cannot be tampered without breaking the seal; and

(c) insecticides manufactured in India which are packed in bags shall be machine-stitched in such a manner that contents thereof cannot be tampered with, or without visible break in the stitching.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-clause (1) the Controller may by an order notified in the Official Gazette, specify the requirements in regard to packing and marking of containers of insecticides of any specific type or description whether such insecticides are manufactured in India or not.

6. Maintenance of records and submission of returns etc.—The Controller may, by an order in writing, direct the manufacturer or the dealer or any class thereof, —

(a) to maintain such books, accounts and records relating to the manufacture and sale of insecticides in such form as he may specify;

(b) to submit to such authority returns or statement in such form and containing

such information and within such time as he may specify;

(c) to produce such stocks, accounts, or records, when so required for inspection, before the Controller or the Inspector of Insecticides or any other authority as may be specified by the Controller in this behalf.

7. Service of orders and directions.—Any order or direction made or issued by the Controller or by any other authority under this order may be served in the manner provided in sub-section (5) of section 3 of the Act.

[No. 14-1|84-PPI]

R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986